31 मार्च 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

- **युवाओं में बेरोजगारी अधिक क्यों है**? | **समझाया** (GS PAPER III: **बेरोजगारी**)
- **बाल्टीमोर में पुल का क्या हुआ**? (**प्रारंभिक**: **बुनियादी जानकारी**)

युवाओं में बेरोजगारी अधिक क्यों है? | व्याख्या की (GS PAPER III: बेरोजगारी)

मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार की गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में क्या पाया गया है? पढ़े-लिखे युवाओं को भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही? श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है? रिपोर्ट में सुझाए गए कुछ सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

- मानव विकास और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर केंद्रित है।
- यह COVID-19 वर्षों सहित दो दशकों में भारतीय श्रम बाजार के रुझानों का विश्लेषण करता है , और उभरती चुनौतियों और रोजगार पर आर्थिक विकास के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- भारत की कामकाजी उम्र की आबादी (15-59 आयु वर्ग) का अनुपात 2011 में 61% से बढ़कर 2021 में 64% हो गया, 2036 में 65% तक पहुंचने का अनुमान है ।
- प्रत्येक वर्ष लगभग 7-8 मिलियन युवा श्रम बल में जुड़ते हैं ।
- जबकि शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं का अनुपात 2000 में 18% से बढ़कर 2022 में 35% हो गया, वहीं इसी अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों में लगे युवाओं का प्रतिशत 52% से घटकर 37% हो गया।
- भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से युवाओं, विशेषकर माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच एक समस्या है, जो समय के साथ बढ़ती जा रही है।
- कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी.
- का प्रतिशत 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गया।
- शिक्षित (माध्यमिक स्तर या उच्चतर) बेरोजगार युवाओं में, पुरुषों (62.2%) की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक (76.7%) है।

क्या यह संकट नौकरियों की कमी का परिणाम है?

- **यह** संकट नौकरी के अवसरों की कमी और खराब शिक्षा गुणवत्ता के कारण शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दोनों से उत्पन्न होता है।
- इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सरकार को औपचारिक शिक्षा से कौशल विकास को अलग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (IHD) ने नोट किया कि 2022 में केवल 15.62% युवाओं के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण था, केवल 4.09% ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था ।
- मेहरोत्रा ने 2019 के बाद कृषि क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि के लिए युवाओं के बीच शिक्षा की अपर्याप्त गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराया , जिससे अन्य क्षेत्रों में उनकी नौकरी की संभावनाएं सीमित हो गईं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में अधिकांश नौकरियाँ (90.4%) अनौपचारिक क्षेत्र में थीं , साथ ही औपचारिक क्षेत्र की लगभग आधी नौकरियाँ (45.2%) भी अनौपचारिक थीं ।

- 2012 और 2018 के बीच युवा बेरोजगारी दर तीन गुना हो गई ।

औपचारिक क्षेत्र

- **विशेषताएँ**:
  - **सरकारी मान्यता और विनियमन** : व्यवसायों और श्रमिकों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और विनियमित किया जाता है। वे श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा नियमों और कराधान का अनुपालन करते हैं ।
  - **संगठित संरचना** : उद्यमों ने संरचनाओं को परिभाषित किया है, अक्सर स्पष्ट रोजगार अनुबंध, नियमित वेतन और लाभ के साथ।
  - **बड़े पैमाने पर**: आमतौर पर इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बड़े उद्यम शामिल होते हैं।
- **उदाहरण**
  - पंजीकृत कंपनियाँ और निगम
  - सरकारी नौकरियों
  - औपचारिक अनुबंध वाले संगठित विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों में श्रमिक

अनौपचारिक क्षेत्र

- **विशेषताएँ**
  - **आधिकारिक विनियमन का अभाव : बड़े पैमाने पर सरकारी विनियमन के बाहर संचालित होता है, अक्सर औपचारिक व्यापार पंजीकरण या** श्रम कानूनों के अनुपालन के बिना ।
  - **असंरचित और लघु-स्तरीय** : इसमें लघु-स्तरीय उद्यम, स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति, आकस्मिक मजदूर और ऐसे कार्य शामिल होते हैं जिनमें अक्सर निश्चित वेतन या लाभों का अभाव होता है।
  - **भेद्यता**: श्रमिकों को कम आय, नौकरी की असुरक्षा और सीमित सामाजिक सुरक्षा का अनुभव होता है।
- **उदाहरण**
  - रेहड़ी-पटरी वाले, फेरीवाले
  - छोटे पैमाने की अपंजीकृत कार्यशालाएँ
  - घरेलू श्रमिक
  - खेतिहर मजदूर
  - निर्माण श्रमिकों

असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के बीच **संबंध** :

प्रमुख बिंदु

- **महत्वपूर्ण ओवरलैप** : भारतीय संदर्भ में, असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र काफी हद तक पर्यायवाची हैं। इसका मतलब यह है कि असंगठित क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों और श्रमिकों को भी अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है।
- **पूर्ण मिलान नहीं**: इसमें छोटे-मोटे अपवाद हो सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से, एक बहुत छोटा उद्यम औपचारिक रूप से पंजीकृत हो सकता है लेकिन संचालन में इतना अनौपचारिक है कि यह 'अनौपचारिक' श्रेणी में आता है। इसके विपरीत, औपचारिक अनुबंध पर कुछ श्रमिकों को अनौपचारिक कामकाजी परिस्थितियों (लाभ की कमी, आदि) का अनुभव हो सकता है। हालाँकि, ये आदर्श नहीं हैं।

असंगठित क्षेत्र को समझना (आधिकारिक परिभाषा: भारत)

- **असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस)**: यह असंगठित क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित करता है:

PatriotIAS

- सभी निजी स्वामित्व वाले उद्यम जो कुल मिलाकर 10 से कम श्रमिकों को रोजगार देते हैं।
- इसमें स्व-रोज़गार वाले लोग, विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक वेतन वाले श्रमिक आदि शामिल हैं।

- **परिभाषा का फोकस**: भारतीय परिभाषा असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों में छोटे पैमाने और औपचारिक संरचना की कमी पर जोर देती है।

अनौपचारिक क्षेत्र के साथ ओवरलैप क्यों?

असंगठित क्षेत्र के छोटे, अपंजीकृत उद्यम आम तौर पर 'अनौपचारिक' परिभाषा के अनुरूप विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं:

- **सरकारी विनियमन के बाहर**: वे आम तौर पर श्रम नियमों, न्यूनतम मजदूरी या कर कानूनों का पालन नहीं करते हैं ।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव**: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच का अभाव है।
- **असुरक्षित रोज़गार** : नौकरियाँ असुरक्षित होती हैं, जिनमें कोई औपचारिक अनुबंध या निश्चित लाभ नहीं होता है।

भारत सरकार पंजीकरण, ऋण तक पहुंच, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के माध्यम से असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने की नीतियों पर सक्रिय रूप से काम करती है।

रोजगार की गुणवत्ता क्या है?

- **भारत में रोजगार की गुणवत्ता निम्न बनी हुई है, जिसकी विशेषता कम उत्पादकता और कमाई है।**
- **वास्तविक मजदूरी और कमाई में या तो गिरावट आई है या स्थिर हो गई है, श्रमिकों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को अकुशल श्रम के लिए प्रति दिन ₹480 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है ।**
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (IHD) के अनुसार, 40.8% नियमित श्रमिकों और 51.9% आकस्मिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिला ।**
- **केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने रिपोर्ट में उजागर वेतन मंदी पर चिंता व्यक्त की है, खासकर अनियंत्रित खाद्य मुद्रास्फीति के बीच।**
- **औपचारिक रोज़गार कुल रोज़गार का केवल 9% है, जिससे अधिकांश कार्यबल सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच से वंचित रह जाता है ।**
- **औपचारिक रोज़गार के अवसरों की कमी बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार में योगदान करती है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बाधा आती है।**
- **रिपोर्ट बताती है कि उच्च शिक्षा स्तर वाले व्यक्तियों को बेहतर रिटर्न के साथ औपचारिक रोजगार सुरक्षित होने की अधिक संभावना है।**
- **दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में युवाओं के औपचारिक रोजगार में होने की संभावना अधिक है , जबकि सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले युवा अनौपचारिक नौकरियों में अधिक प्रचलित हैं।**

औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की कमी:

- **ट्रेड यूनियन औपचारिक क्षेत्र में नौकरी की कमी का कारण खाली रिक्तियों और सेवानिवृत्ति के बाद एक तिहाई पदों को समाप्त होने देने की नीति को मानते हैं ।**
- **औपचारिक नौकरी के अवसरों में गिरावट के लिए संविदा नियुक्तियों की प्रवृत्ति और परामर्शदाताओं पर बढ़ती निर्भरता को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है।**

श्रम बाज़ार में लिंग अंतर:

- **श्रम बाजार में महिला भागीदारी की कम दर के साथ एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर मौजूद है।**
- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में लिंग अंतर पिछले दो दशकों से लगातार बना हुआ है।**

- 2022 में, युवा पुरुषों के लिए एलएफपीआर युवा महिलाओं की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक था, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान अंतर था।
- युवाओं का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर महिलाएं, शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में संलग्न नहीं हैं।
- 2012 और 2019 के बीच, महिला भागीदारी में कमी के कारण बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि हुई, हालांकि 2019 के बाद से यह प्रवृत्ति थोड़ी उलट गई है।
- युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं की कृषि में संलग्न होने की अधिक संभावना है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) की सिफारिशों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार करना , संस्थागत देखभाल सुविधाएं, अनुकूलनीय कार्य व्यवस्था, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, सुविधाएं और बढ़ी हुई कार्यस्थल सुरक्षा प्रदान करना शामिल है ।

रिपोर्ट से सिफ़ारिशें:

1. चुनौतियों का समाधान करने के लिए पाँच मिशन:
    - उत्पादन और विकास को अधिक रोजगार-प्रधान बनाएं।
    - नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार करें.
    - श्रम बाज़ार की असमानताओं पर काबू पाना।
    - कौशल प्रशिक्षण और सक्रिय श्रम बाजार नीतियों के लिए प्रणालियों की प्रभावशीलता बढ़ाना।
    - श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार पर ज्ञान की कमी को पूरा करें।
2. आर्थिक नीतियों के साथ रोजगार सृजन का एकीकरण:
    - उत्पादक गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मैक्रो और अन्य आर्थिक नीतियों के साथ रोजगार सृजन को एकीकृत करें।
    - सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करें और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दें।
3. कृषि उत्पादकता और गैर-कृषि रोजगार सृजन में वृद्धि:
    - कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाएं.
    - अधिक गैर-कृषि नौकरियाँ सृजित करें।
    - रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमिता को बढ़ावा दें।
4. श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पर फोकस:
    - श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू करें।
    - सभी क्षेत्रों में रोजगार की न्यूनतम गुणवत्ता और श्रमिकों के बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करें।
5. श्रम बाज़ार में युवाओं का तेजी से एकीकरण:
    - अच्छी तरह से लक्षित आपूर्ति और मांग उपायों के माध्यम से कौशल आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को संबोधित करें।
    - श्रम बाजार में युवाओं का तेजी से एकीकरण सुनिश्चित करें।

बाल्टीमोर में पुल का क्या हुआ? (प्रारंभिक: बुनियादी जानकारी)

PatriotIAS

- बाल्टीमोर में पटाप्सको नदी पर एक कंटेनर जहाज़ एक पुल के खंभे से टकरा गया .
- टक्कर के कारण पुल का एक हिस्सा ढह गया, साथ ही उस पर कुछ लोग और कारें भी गिर गईं।
- इस घटना के परिणामस्वरूप छह लोग नदी में गिर गये।
- 27 मार्च के अंत तक, अमेरिकी तट रक्षक ने छह व्यक्तियों के शवों के लिए नदी में अपनी खोज पूरी कर ली थी।
- टक्कर में शामिल कंटेनर जहाज के चालक दल में पूरी तरह से भारतीय नागरिक शामिल थे ।

घटनाओं की समय-सीमा क्या है?

- टक्कर में शामिल जहाज का नाम डाली है , जो स्थानीय समयानुसार 12:28 बजे बाल्टीमोर बंदरगाह से रवाना हुआ था।
- डाली, एक 300 मीटर लंबा जहाज, तेल के कंटेनर और कुछ खतरनाक सामग्री लेकर कोलंबो , श्रीलंका जा रहा था ।
- प्रस्थान के कुछ ही समय बाद, पास के पर्यवेक्षकों ने डाली पर टिमटिमाती रोशनी देखी, और जहाज का मार्ग पुल के दो स्तंभों की ओर झुकना शुरू हो गया।
- स्थानीय समयानुसार सुबह 1:27 बजे, डाली पुल के एक खंभे से टकरा गई, जिससे पुल का एक हिस्सा ढह गया ।
- डाली के चालक दल ने जहाज को नियंत्रित करने के लिए सहायता मांगने के लिए मई दिवस का संकेत जारी किया , जिससे तटरक्षक बल और स्थानीय अधिकारियों को प्रतिक्रिया देनी पड़ी और पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया।
- पुल की ऊपरी संरचना का एक हिस्सा जहाज पर गिर गया, जिससे कुछ कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए और वे अनिश्चित स्थिति में चले गए।
- घटना के बाद मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी।
- संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने टक्कर की जांच की और जानबूझकर इसे अंजाम देने के इरादे को खारिज कर दिया।
- डाली का स्वामित्व डेनिश शिपिंग कंपनी मेर्स्क के पास है और यह सिंगापुर का झंडा फहराती है । इसका प्रबंधन राजेश उन्नी के नेतृत्व वाले सिनर्जी मरीन ग्रुप द्वारा किया जाता है।

क्या वैश्विक वन विस्तार का असर आदिवासियों पर पड़ेगा?

PatrioticIAS

वैश्विक जैव विविधता ढांचे के बारे में क्या चिंताएं हैं, जिसका उद्देश्य वन आवरण, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों को दुनिया के स्थलीय क्षेत्र के कम से कम 30% तक बढ़ाना है? भारत में क्या है स्थिति?

- 21-22 मार्च को एरिज़ोना विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर केंद्रित थी।
- संगोष्ठी में कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (जीबीएफ) पर चर्चा की गई।
- इसने इस चिंता पर प्रकाश डाला कि जीबीएफ, भारत के वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 के साथ, भारत की जनजातियों को कैसे प्रभावित करेगा।
- कई प्रतिभागियों ने भारत के स्वदेशी समुदायों, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण से प्रभावित लोगों के लिए प्रतिकूल परिणामों की भविष्यवाणी की।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जीबीएफ क्या है?

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (जीबीएफ) को दिसंबर 2022 में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी15) की 15वीं बैठक के दौरान अपनाया गया था।
- इसने चार साल की परामर्श और बातचीत प्रक्रिया का पालन किया और इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का समर्थन करना है।
- जीबीएफ योजना, निगरानी, वित्त, क्षमता विकास और वैज्ञानिक सहयोग से संबंधित 2050 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य और 2030 के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
- एक प्रमुख लक्ष्य, जिसे लक्ष्य 3 के नाम से जाना जाता है, का लक्ष्य स्थलीय, अंतर्देशीय जल, तटीय और समुद्री क्षेत्रों को कवर करने वाले संरक्षित क्षेत्रों (पीए) को दुनिया के स्थलीय क्षेत्र के कम से कम 30% तक बढ़ाना है।
- वर्तमान में, संरक्षित क्षेत्र विश्व के लगभग 16% स्थलीय क्षेत्र को कवर करते हैं।
- नई दिल्ली स्थित अधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा ने एक संगोष्ठी में लक्ष्य 3 पर प्रकाश डाला, और स्वदेशी समुदायों और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों पर इसके संभावित प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया।

इसके निहितार्थ क्या हैं?

- 'संरक्षण, नस्लवाद और स्वदेशी लोगों के मानवाधिकार पर संगोष्ठी' में प्रतिभागियों ने स्वदेशी समुदायों पर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (जीबीएफ) के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
- उनका मानना है कि जीबीएफ के लक्ष्य स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर कॉर्पोरेट हितों का पक्ष लेते हैं ।
- इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के उदाहरण उद्धृत किए गए जहां स्वदेशी समुदायों को संरक्षण प्रयासों के कारण आवास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- इंडोनेशिया के उजुंगकुलोन राष्ट्रीय उद्यान में, स्वदेशी लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, और कंबोडिया के बेंग पेर वन्यजीव अभयारण्य में, एक स्वदेशी नेता को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए दोषी ठहराया गया था।
- प्रतिभागियों ने उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां निजी क्षेत्र के हितों को समायोजित करने के लिए कंबोडिया में संरक्षित क्षेत्रों को कम कर दिया गया था।
- उदाहरण के तौर पर भारत के वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 का हवाला देते हुए, आलोचना को वन संरक्षण प्रयासों में निजी क्षेत्र को शामिल करने की दिशा में निर्देशित किया गया था।

PatriotIAS

- स्वदेशी लोगों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, जोस फ्रांसिस्को कैली त्ज़े ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र शुरू में औपनिवेशिक अभिजात वर्ग द्वारा मनोरंजक उद्देश्यों और शिकार के लिए बनाए गए थे।
- प्रतिभागियों ने तर्क दिया कि इकोटूरिज्म जैसी अवधारणाएं अक्सर स्वदेशी लोगों को उनकी संस्कृति और अधिकारों का सम्मान करने के बजाय, चिड़ियाघर में जानवरों के समान आकर्षण मात्र बना देती हैं।

भारत के लिए जीबीएफ का क्या मतलब होगा?

- कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (जीबीएफ) के लक्ष्यों को पूरा करने से भारत में स्वदेशी लोगों के अस्तित्व को खतरा होगा।
- भारत के लगभग 84% राष्ट्रीय उद्यान (106 में से 89) स्वदेशी लोगों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे।
- संभावित प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रदान किए गए:
    - राजस्थान में कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में अपग्रेड करने से अभयारण्य के अंदर और बाहर स्थित 162 आदिवासी गाँव प्रभावित हो सकते हैं।
    - मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य के विस्तार से 62 गाँव प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते हैं।
    - दिमासा जैसे स्वदेशी समूहों को प्रभावित कर सकती है ।
- जबकि गजट अधिसूचना का दावा है कि अभयारण्य अतिक्रमण से मुक्त है और अधिकारों या रियायतों के अस्तित्व से इनकार करता है, खासी जैसे स्वदेशी समूहों के पास 1914 से क्षेत्र में अपने निवास को साबित करने वाले दस्तावेज हैं।

जनजातीय भूमि की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है?

- श्री चकमा इस बात पर जोर देते हैं कि हालांकि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) जैसे बहुपक्षीय समझौतों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत को अपनी नीतियों को समायोजित करने की जरूरत है।
- उन्होंने कई प्रमुख बदलावों का सुझाव दिया:
- अधिकारों की मान्यता: भारत को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के तहत गारंटीकृत स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए।
- संरक्षित क्षेत्रों (पीए) का संरक्षक: जंगलों और वन्यजीवों के साथ उनके विशेष संबंध को पहचानते हुए आदिवासियों को पीए का संरक्षक बनाया जाना चाहिए।
- न्यायसंगत लक्ष्यीकरण: सरकार को जनजातीय क्षेत्रों को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका चुनावी महत्व कम है। आदिवासी आबादी के बावजूद, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों की कम संख्या इस मुद्दे को उजागर करती है।
- गैर-आदिवासी क्षेत्रों में पीए का निर्माण: पीए को आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। बाघों के बिना गैर-आदिवासी क्षेत्रों में बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों से परे पीए के विस्तार के लिए एक मिसाल का संकेत देते हैं।
- मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करना: भारत को पीए में मानवाधिकारों के उल्लंघन को गंभीरता से लेना चाहिए। पीए के भीतर स्वदेशी समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास तक पहुंच के पात्र हैं, जो केवल वन्यजीव या वन विभागों के अधिकार क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।

- पीए के भीतर रहने वाले स्वदेशी लोग जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके योगदान के लिए सम्मान और मान्यता दी जानी चाहिए।

PatriotiAS